सूद

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है।

सब तारीफ़े अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का पालनहार है। हम उसी से मदद व माफी चाहते हैं। अल्लाह की लातादाद सलामती, रहमतें व बरकतें नाज़िल हों मुहम्मद सल्ल., पर आपकी आल व औलाद और असहाब रज़ि. पर। व बअद।

"सूद ख़ोरी" सामाजिक व अख़लाक़ी बुराईयों में से एक है। यह हराम कमाई की बदतरीन शक्ल है। इसके ज़रिये मालदार और सूद ख़ोर लोग ग़रीब व कमज़ोर वर्ग के लोगों का (उन की मदद के नाम पर) ख़ून चूसते हैं। उनकी मज़बूरी व परेशानी का फ़ायदा उठाते हैं। फिर एक वक़्त आता है कि ग़रीब व मजबूर लोगों की ज़मीन–जायदाद पर क़ब्ज़ा कर लेते हैं। और मजबूर व लाचार शख़्स खुद को लुटता देखता रह जाता हैं। इर्शादे बारी है "ऐ ईमान वालों! आपस में एक दूसरे का माल नाहक़ तरीक़े से मत खाओं।" **(बक़रह–188 & निसा–29)** इस्लाम की अख़लाक़ी तालीमात में सूद की कोई जगह नहीं है। अल्लाह ने सूद को न सिर्फ़ यह कि हराम कहा बल्कि बदतरीन जुर्म व गुनाह क़रार दिया। फ़रमाया "ऐ ईमान वालों। अल्लाह से डरो और जो सूद बाक़ी रह गया है उसे छोड़ दो। अगर तुम ईमान वाले हो।" **(बक़रह–278)** सूद के सिवाए और कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसके बारे में अल्लाह ने यह फ़रमाया हो कि "अगर तुम सूद लेना नहीं छोड़ते हो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्ल. की तरफ़ से ऐलाने जंग है।" **(बक़रह–279)** इन्सानों के लिए जो चीज़े अच्छी व फ़ायदे मन्द हैं उन्हें इस्लाम ने हलाल और जो चीज़े ख़राब व नुक़सान देह हैं उन्हें हराम क़रार दिया है। ख़्वाह यह बुराई व नुक़सान जिस्मानी हों या अख़लाक़ी या उनका तअल्लुक़ दीन व अक़ीदे से हो।

जैसे तमाम सब्ज़ियां, फल व अनाज हलाल हैं लेकिन नशावर चीज़ों को खाना–पीना हराम है। क्योंकि इनके इस्तेमाल से जिस्म व अख़लाक़ दोनों को नुक़सान पहुंचता हैं। इसी तरह उन जानवरों के गोश्त को हराम किया है जो ग़ैरूल्लाह के लिए या ग़ैरूल्लाह के नाम पर ज़िब्ह किये जाएं। चाहे वह किसी बुत या देवी, देवता के नाम पर ज़िब्ह किये जाएं या किसी जिन्न, पीर, फक़ीर या बुज़ुर्ग के नाम पर या किसी मज़ार व स्थान के लिए। इसलिए कि

Please purchase 'e-PDF

इससे अक़ीदा ए तौहीद में ख़राबी आती है। इसी तरह मुर्दा जानवर, सुअर, कुत्ता, पालतु गधा व दरिन्दें का गोश्त भी हराम किया हैं क्योंकि इनके खाने से भी अख़लाक़ी ख़राबी व जिस्मानी बीमारी का ख़तरा हैं। इसी तरह रोज़ी कमाने के लिए तिजारत, खेती बाड़ी और सनअत (हर काम की कारीगरी) को हलाल क़रार दिया है जबकि 'सूद' को हराम ठहराया है।

सूद की वजह से होने वाले नुक़्सानातः–

(1) खुद गर्ज़ीः– जिस समाज में सूद आम हो जाता है वहां खुदग़र्ज़ी अपना डेरा जमा लेती है और आपसी हमदर्दी, मुहब्बत व मदद करने का जज़्बा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हर कोई अपने फ़ायदे को ध्यान में रखता है। दूसरे की मजबूरी, परेशानी और नुक़्सान की परवाह कोई नहीं करता। सूदी क़र्ज़ वसूलते वक़्त उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि क़र्ज़दार ग़रीब व मोहताज है। भूखा है या बीमार है? उसके बीवी – बच्चे बदहाल हैं और यह कि कर्ज़ जिस मक़सद के लिए लिया था उसमें उसे फ़ायदा हुआ या नुक़्सान?

(2) ग़रीब व ज़रूरत मन्द भी ईमानदार नहीं रहताः–

वह इस तरह कि जब कोई भला शख़्स उनके साथ भलाई करें और बिना सूद के क़र्ज़ दे दे तो कई लोग उसका क़र्ज़ यह सोचकर नहीं लौटाते कि इसने हम से कोई काग़ज़ तो लिखवाया नहीं। किसी कागज़ पर न दस्तख़त करवाए, न अंगूठा लगवाया और न कोई चीज़ रहन रखी इसलिए कर्ज़ न लौटाने पर यह हमारा कुछ न बिगाड़ पायेगा। चूंकि बैंक या सूद ख़ोर लोग जब किसी को क़र्ज़ देते हैं तो क़ानूनी शिकंजें में इस तरह जकड़ लेते हैं कि क़र्ज़दार अगर तय वक़्त पर क़र्ज़ न लौटाए तो या तो सूद की रक़म बढ़ा देते हैं या मकान, ज़मीन या जायदाद वग़ैरह पर क़ाबिज़ हो जाते हैं। ऐसे हालात में अच्छे लोग चाहकर भी किसी को क़र्ज़े हस्ना नहीं देते। उन्हें डर होता है कि कहीं हमारी रक़म न डूब जाए?

(3) समाज दो हिस्सों में बंट जाता हैः–

सूद आम हो जाने की वजह से समाज दो धड़ों में बंट जाता है। एक गिरोह उन लोगों का जो बग़ैर भाग–दौड़ और मेहनत व कोशिशों के मालदार से मालदार तरीन होता जाता हैं तो दूसरा उन लोगों का जो रात –दिन मेहनत करते हैं, दौड़–धूप व कोशिशों में लगे रहते हैं। अपना ख़ून–पसीना एक करके ग़रीबी से छुटकारा चाहते हैं मगर उन की ग़रीबी कम होने का नाम नहीं लेती। वजह यह कि जो कुछ कमाते या बचाते हैं, सूद अदा करने में चला जाता है।

(4) सूदी कर्ज़ परेशानी को ओर बढ़ाता हैः–

वह ऐसे कि कोई शख़्स जब एक दफ़ा सूद पर क़र्ज़ ले लेता है तो वह हमेशा के लिए बद बख़्ती का शिकार हो जाता है।

F Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to re

वह इस दल दल से कभी निकल ही नहीं पाता। 'सूदी क़र्ज़ा क़र्ज़ लेने वाले की उसी तरह मदद करता है जिस तरह रस्सी फांसी पाने वाले की मदद करती है।

(5) मंहगाई बढ़ जाती है:–

आज हर कोई शिकायत करता है कि मंहगाई दिन व दिन बढ़ रही है। इसकी भी एक वजह सूद का आम हो जाना है। वह इस तरह कि जब कोई शख़्स कोई काम या तिजारत शुरू करता है तो सोचता है कि अगर मैं यह रक़म बैंक में जमा करता या सूद पर देता तो मुझे इतना नफ़ा होता अब वह कारोबार से उस फायदे(सूद) से ज़्यादा नफ़ा चाहता है और अगर कोई सूद पर पैसा लेकर तिजारत करता है तो वह भी उस सूद को ध्यान में रख कर अपने सामान की क़ीमत तय करता है। अन्जाम कार मंहगाई बढ़ती चली जाती है।

(6) बेरोज़गारी बढ़ती है:–

वह इस तरह कि जब सूदी बैंक नहीं थे तो अक्सर कारख़ानें और फ़ैक्ट्रीयां मज़दूरों के सहारे चलती थीं। लेकिन अब बैंकों की मेहरबानी से नई–नई कीमती मशीने ख़रीद ली जाती हैं। जिनसे काम तो ज़्यादा निकलता है मगर काम करने वालों की तादाद घट जाती है। कुछ दौलत मंद लोग अपनी रक़म कारोबार के झंझटों से बचने के लिए बैंक में रखना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इस तरह हर माह बग़ैर किसी मेहनत के उनकी दौलत तो बढ़ती जाती है, साथ ही बेरोज़गारों की तादाद भी बढ़ती है। इन्हीं सब ख़राबियों की वजह से अल्लाह ने "तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम और फ़रमाया कि "अगर तुम ईमान वाले हो तो अब सूद ख़ोरी से तौबा कर लो और सूद की रक़म छोड़ दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो अल्लाह से और उसके रसूल (सल्ल.) से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए तुम्हारा माल है। न तुम ज़ुल्म करो और न तुम पर ज़ुल्म किया जाए।" **(बक़रह–278,–279)**

इमाम कुर्तुबी रह. अपनी तफ़सीर में इब्ने बकीर रह. से रिवायत करते हैं कि इमाम मालिक रह. ने फ़रमाया "खाने–पीने की तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा बदतर व बुरी चीज़ "सूद" है। इसलिए कि सूद ख़ोर के लिए अल्लाह ने जंग का ऐलान किया है और फ़रमाया "ऐ ईमान वालों!" तुम सूद न खाओ और अल्लाह से डरों ताकि कामयाब हो जाओं और उस आग से डरो जो इनकारियों के लिए तैयार की गई है।" **(आले इमरान–आयत–130,131)** अबु हनीफ़ा रह. फ़रमाया करते थे कि यह कुरआने करीम की सबसे ज़्यादा ख़ौफ़ दिलाने वाली आयत है। क्योंकि इसमें अल्लाह ने सूद ख़ोरों को (ख़्वाह वोह मुसलमान ही क्यों न हो) यह तम्बीह की है कि

अगर तुम सूद ख़ोरी से बाज़ नहीं आते तो उस आग से डरो जो काफ़िरों के लिए तैयार की गई है।'' **(उम्दतुल क़ारी–जिल्द 11 सफ़ा – 300)** अल्लाह! जो कायनात की हर चीज़ पर कुदरत रखता है, की तरफ़ से ऐलाने जंग कोई मामूली बात नहीं। वह जिससे लड़ने या बदला लेने पर आ जाए उसके तबाह व बर्बाद होने में क्या शक हो सकता है? अल्लाह के इस चैलेन्ज को वही शख़्स कुबूल कर सकता है जिसका ईमान कमज़ोर हो या जो क़यामत के दिन के हिसाब–किताब से ला परवाह हो। इसलिए कि ''जो लोग सूद खाते हैं। वोह क़यामत के दिन इस तरह खड़े होंगें जैसे शैतान ने लिपट कर उन्हें दीवाना बना दिया हो। इसलिए कि यह कहा करते थे तिजारत भी तो सूद ही की तरह है हालांकि तिजारत को अल्लाह ने हलाल किया है और सूद को हराम क़रार दिया है। (बस जिस तक उसके रब की नसीहत पहुंच जाए, वह सूद खाना छोड़ दे। पहले जो हो गया सो हो गया। उसका फ़ैसला अल्लाह के पास है और जो कोई अब सूद खाए तो ऐसे लोग जहन्नमी हैं और वोह उसमें हमेशा रहेंगें।'' **(बक़रह–आयत–275)**

सूद से माल बज़ाहिर बढ़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन अल्लाह का तरीका ऐसा है कि आख़िरकार उसका अन्जाम तबाही व हलाकत होता है। क्योंकि ''अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है।'' **(बक़रह–276)**

कुछ लोग कहते हैं कि सूद के बग़ैर दुनिया का कारोबार चल ही नहीं सकता। हालांकि इन्सान अगर इन्सानी हम दर्दी और समाज की बेहतरी का जज़्बा रखे। अपने मामलात में पूरी तरह ईमानदारी बरते तो बिना सूद के भी इन्सानी तरक़्क़ी व ख़ुशहाली मुमकिन है। इसीलिए सभी आसमानी मज़ाहिब में सूद हराम रहा है। जैसा कि इन्जील लूका जिल्द 2 में है कि ''अगर तुमने ऐसे शख़्स को क़र्ज़ दिया जिससे फ़ायदे व बदले का तुम्हे इन्तेज़ार है तो तुम्हारी कोई फ़ज़ीलत नहीं। नेकियां करो और क़र्ज़ उसके नफ़े (सूद) के बग़ैर दो, तब तुम्हें अज्र मिलेगा।'' मशहूर ईसाई आलिम स्कूबार का कौल है ''जो यह कहे कि सूद गुनाह नहीं है, उसे दीन से ख़ारिज समझा जाएगा।'' फ़ादर बूनी कहते हैं ''सूद ख़ोरों का दुनियावी ज़िन्दगी में कोई शर्फ़ व मक़ाम नहीं और मरने के बाद यह तकफ़ीन के हक़दार भी नहीं। इन्हें बग़ैर कफ़न के गाड़ देना चाहिये।''सूद और सूदी लेन–देन इतनी बुरी चीज़ है कि इसमें तआवुन करना भी अल्लाह की रहमत से दूर रहने का काम है। अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ़रमाया कि –

(1) ''जो शख़्स सूद का एक दिरहम जानते – बुझते खाले तो उसका

Please purchase 'a PDF

गुनाह 36 ज़िना से भी ज़्यादा है।'' **(अहमद & तबरानी & मिश्कात–2702)** (एक दिरहम लगभग ¼ तौला चांदी के बराबर होता है)

(2) ''अल्लाह की लानत हो सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूदी लेन–देन का मामला लिखने वाले पर और उसके गवाहों पर और इस गुनाह में यह सब बराबर हैं।''**(मुस्लिम – 4093 & मिश्कात – 2684)**

(3) ''एक ज़माना ऐसा आएगा कि इन्सान इस बात की परवाह नहीं करेगा कि उसने माल कहां से हासिल किया? हलाल तरीक़े से या हराम ज़राय से।'' **(बुख़ारी–2083)**

(4) ''अल्लाह की लअनत हो सूद खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, उसके गवाह पर और उसके लिखने वाले पर।'' **(मुस्लिम–4092 & अबुदाऊद–3333 & इब्ने माज़ा – 2277)**

(5) ''एक रात ख़्वाब में मैंने दो आदमी देखे वो दोनों मेरे पास आए और मुझे बैतुल मक़दिस ले गए। फिर हम सब वहां से चले। यहां तक कि ख़ून की एक नहर पर आ गए। वहां एक शख़्स खड़ा था और नहर के बीच में भी एक शख़्स खड़ा हुआ था। किनारे पर खड़े शख़्स के पास कुछ पत्थर पड़े थे। नहर में खड़ा शख़्स जब नहर से बाहर निकलना चाहता तो फ़ौरन ही किनारे पर खड़ा शख़्स उस के मुंह पर पत्थर खींच मारता जो नहर में खड़े शख़्स को वहीं लौटा देता, जहां वह पहले खड़ा था। इसी तरह बार–बार होता। मैंनें (अपने साथियों से जो फ़रिश्ते थे) पूछा कि यह क्या (माजरा) है? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहर में तुमने जिस शख़्स को देखा वह 'सूद ख़ोर' इन्सान है।'' **(बुख़ारी – 845 & 2085)**

(6) ''सूद के 70 दर्जे (हिस्से) हैं और सबसे कम दर्जे का गुनाह ऐसा है जैसे कोई अपनी मां से निकाह (ज़िना) करें।'' **(इब्ने माज़ा – 2274 & मिश्कात–2703)**

(7) ''मेअराज की रात जब मैं एक क़ौम के पास पहुंचा तो देखा कि उनके पेट घरों (मकानों) की तरह थे और उनमें सांप भरे थे जो पेट के बाहर से नज़र आ रहे थे। मैंने जिब्रील (अलैहि.) से कहा यह कौन लोग हैं? तो उन्होंने बताया कि यह ''सूद ख़ोर हैं'' **(इब्ने माजा–2273 & मिश्कात 2705–ज़ईफ़)**

(8) ''लोगों पर एक ज़माना आएगा कि उनमें कोई बाक़ी नहीं रहेगा, मगर सूद खाने वाला होगा। अगर सूद न खाएगा तो उसका गुबार ही उसे पहुंच कर रहेगा।'' **(इब्ने माजा – 2278 & मिश्कात – 2695 – & अबुदाऊद–3331–ज़ईफ़)**

(9) इब्ने अब्बास रज़ि. कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने जब नजरान के ईसाईयों के साथ सुलह की तो उस मुआहिदे में यह

भी लिखा गया था कि "तुम लोगों ने अगर किसी शर्त की ख़िलाफ़ वर्ज़ी की या सूद ख़ोरी की तो यह मुआहिदा बाक़ी नहीं रहेगा।" **(अबु दाऊद–3041–हसन)**

(10) आमिर रज़ि. कहते हैं कि मैंने उस सुलह नामे को पढ़ा है। उसमें लिखा था "अगर तुम लोगों ने सूद ख़ोरी की तो हमारे और तुम्हारे बीच सुलह (संधि) बाक़ी नहीं रहेगी।"

(इब्ने अबि शैअबा–जिल्द 6 सफ़ा–562)

(11) अबु अल मुलीह अल हज़ली फ़रमाते हैं कि "नजरान के लोगों ने हज़रत उमर रज़ि. के दौरे ख़िलाफ़त में जब सूदी कारोबार शुरू कर दिया तो उमर रज़ि. ने उन्हें जिला वतन कर दिया।"

(अबु दाऊद–3034 & किताबुल अमवाल सफ़ा–245)

कई कुरआनी आयात और इन रिवायात से मालूम हुआ कि सूद का मामला कितना ख़तरनाक है और इसकी बुराई व नुक्सान कितना ज़्यादा है। तो हमें चाहियें कि इस जुर्म व गुनाह से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। इसलिए भी कि यह ऐसा जुर्म है कि इस्लामी हुकूमत में मुस्लिम हो या ग़ैर मुस्लिम किसी को भी सूदी लेन–देन की इज़ाज़त नहीं है। दुनियां में जहां सूद ख़ोरों के ख़िलाफ़ अल्लाह की तरफ़ से ऐलाने जंग है। वहीं आख़िरत में इनके लिए बड़ी व बुरी सज़ाएं हैं– जैसे (1) क़यामत के दिन जब यह उठेंगें तो ऐसे बदहवास होंगे। जैसे शैतान ने उन्हें छूकर पागल बना दिया हो।

(बक़रह–आयत–275)

(2) ख़ून की नहर में ख़ड़ा कर दिया जाएगा और जब उससे बाहर निकलना चाहेगें तो किनारे पर ख़ड़ा फ़रिश्ता उन्हें पत्थर मार कर वापिस पहली जगह जाने पर मजबूर करदेगा। **(बुख़ारी–845)**

(3) उनके पेट घरों की तरह बड़े कर दिये जाएंगें और उनमें सांप भर दिये जाएंगें जो पेट के बाहर से नज़र आएंगें। **(मिश्कात–2273–ज़ईफ़)** यह और इन के अलावा जो भी सज़ाऐं हैं, वोह सभी आम व ख़ास सूद ख़ोरों के लिए यकसा हैं। चाहे वोह कहीं के भी रहने वाले हों या किसी भी मज़हब के मानने वाले हों।

इसलिए अल्लाह से दुआ है कि वह हम सभी को सूदी लेन–देन करने से बचाए और सूद ख़ोरी जैसे भयानक गुनाह से दूर रखे। सही वह जाइज़ तरीक़ी से हलाल रिज़्क़ हासिल करने की तौफ़ीक़ दे और उसे हासिल करना हमारे लिए आसान बनादे। हमारी ख़ताओ से दर गुज़र करे और हमें अपने दीन की सीधी राह पर चलाए। आमीन।

आपका दीनी भाई
मुहम्मद सईद
09214836639
09887239649

ıove this message.